संख्या 20/ 2015 /1099/ सत्रह-म 2015 11-1- म (6)/2006

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 03 सितम्बर 2015

विषय वर्ष 2015 16 में वर्ष 2014 15 हेतु मछुआ आवास योजनान्तर्गत पूर्व स्वीकृत 647 अवशेष मछुआ आवासों के लिए केन्द्राश के रूप में प्राप्त धनराशि को द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 301 नि0शा0 16-22(9) वि0स्वी0- 3 दिनांक 06-07- 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में 647 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 12012-27-2009- एफ0वाई(डब्ल्यू यू) दिनांक 14-10-2014 द्वारा रू0 242.625 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 120.00 लाख की धनराशि अवमुक्त् की गयी थी। केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 120.00 लाख में से केन्दांश की धनराशि रू0 1,19,99,909 तथा राज्यांश की धनराशि रू0 36589791 को समिम्लित करते हुए कुल धनराशि रू0 485.897 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2115/सत्रह-म-2014-।।-।-म(6)/2006 दिनांक 28-11-2014 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति धनराशि के उपरान्त केन्द्राश की धनराशि रू0 91.00(रू0 इक्यान्बे मात्र) अवशेष बची थी। वर्ष 2014-15 की धनराशि को भारत सरकार के पत्र संख्या - 12035 /6/2010- एफ0वाई(डब्ल्यू यू) दिनांक रहित मई 2015 द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए पुर्नबैघ् करते हुए उनके पत्र संख्या- 12012 /27/2009-एफ0वाई(डब्ल्यू यू) दिनांक 23-06-2015 द्वारा अवशेष केन्द्राश की धनरशि रू0 122.625 लाख को अवमुक्त की गयी है।

अत: केन्द्रांश की धनराशि रू0 122.625 लाख तथा केन्द्राश की अवशेष धनराशि रू0 91.00 को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 122.62591 लाख (एक करोड बाइस लाख बासठ हजार पॉच सौ इकायान्बे मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के अनुसार मछुआ आवासों के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

1. उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निधा्रित शर्तो एंव शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों तथा निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा ।
2. उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार तथा शासन एवं महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जाय।

3 . उपरोक्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 800 अन्य व्यय 02 नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर फिशरमैन 0202 नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फण्ड की योजना (के050/रा050 के0 रा0) –27 सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत में जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 20/2015/ 1099(1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अनु सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय,पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 12012 /27/2009- एफ0वाई(डब्ल्यू यू) दिनांक 23-06-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय लखनऊ
5- सम्बंधित मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
6- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

शासनादेश संख्या 20 /2015/1099/सत्रह –म-2015 ।।-। अ (6)/2006 का दिनांक 02सितम्बर 2015 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

क्र0स0	जनपद का नाम	कुल आवास	केन्द्राश	राज्यांश	कुल
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	10	189530	0	189530
2	फिरोजाबाद	10	189530	0	189530
3	मैनपुरी	10	189530	0	189530
	आगरा मण्डल	30	568590	0	568590
4	हाथरस	10	189530	0	189530
5	एटा	10	189530	0	189530
6	कासगंज	10	189530	0	189530
	अलीगढ मण्डल	30	568590	0	568590
7	आजमगढ	10	189530	0	189530
8	मऊ	10	189530	0	189530
9	बलिया	10	189530	0	189530
	आजमगढ मण्डल	30	568590	0	568590
10	इलाहाबाद	10	189530	0	189530
11	कौशाम्बी	10	189530	0	189530
12	फतेहपुर	10	189530	0	189530
13	प्रतापगढ	10	189530	0	189530
	इलाहाबाद मण्डल	40	758120	0	758120
14	कानपुर देहात	10	189530	0	189530
15	इटावा	10	189530	0	189530
16	औरेया	10	189530	0	189530
17	फरूखाबाद	10	189530	0	189530
18	कन्नौज	10	189530	0	189530
	कानपुर मण्डल	50	947650	0	947650
19	गोरखपुर	10	189530	0	189530
20	महाराजगंज	10	189530	0	189530
21	कुशीनगर	10	189530	0	189530
	गोरखपुर मण्डल	30	568590	0	568590
22	हमीरपुर	10	189530	0	189530
23	महोबा	10	189530	0	189530
	चित्रकूट मण्डल	20	379060	0	379060
24	झांसी	10	189530	0	189530
25	जालौन	10	189530	0	189530

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	ललितपुर	10	189530	0	189530
	झांसी मण्डल	30	568590	0	568590
27	गोण्डा	10	189530	0	189530
28	बलरामपुर	10	189530	0	189530
29	बहराइच	10	189530	0	189530
30	श्रावस्ती	10	189530	0	189530
	देवीपाटन मण्डल	40	758120	0	758120
31	फैजाबाद	10	189530	0	189530
32	अम्बेडकरनगर	10	189530	0	189530
33	सुल्तानपुर	10	189530	0	189530
34	अमेठी	10	189530	0	189530
	फैजाबाद मण्डल	40	758120	0	758120
35	बरेली	10	189530	0	189530
36	बदायूँ	10	189530	0	189530
37	शाहजहाँपुर	10	189530	0	189530
38	पीलीभीत	10	189530	0	189530
	बरेली मण्डल	40	758120	0	758120
39	बस्ती	10	189530	0	189530
40	संतकबीरनगर	10	189530	0	189530
41	सिद्वार्थ नगर	10	189530	0	189530
	बस्ती मण्डल	30	568590	0	568590
42	मेरठ	10	189530	0	189530
43	बागपत	10	189530	0	189530
44	बुलन्दशहर	10	189530	0	189530
	मेरठ मण्डल	30	568590	0	568590
45	मुरादाबाद	10	189530	0	189530
46	सम्भल	17	322201	0	322201
47	रामपुर	10	189530	0	189530
48	बिजनौर	10	189530	0	189530
49	अमरोहा	10	189530	0	189530
	मुरादाबाद मण्डल	57	1080321	0	1080321
50	उन्नाव	10	189530	0	189530
51	रायबरेली	10	189530	0	189530
52	सीतापुर	10	189530	0	189530
53	हरदोई	10	189530	0	189530
54	लखीमपुर खीरी	10	189530	0	189530
	लखनऊ मण्डल	50	947650	0	947650
55	वाराणसी	10	189530	0	189530
56	चन्दौली	10	189530	0	189530
57	गाजीपुर	10	189530	0	189530

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

58	जौनपुर	10	189530	0	189530
	वाराणसी मण्डल	40	758120	0	758120
59	मिर्जापुर	10	189530	0	189530
60	सोनभद्र	10	189530	0	189530
61	संतरविदासनगर	10	189530	0	189530
	विन्ध्याचल मण्डल	30	568590	0	568590
62	सहारनपुर	10	189530	0	189530
63	मुजफरनगर	10	189530	0	189530
64	शामली	10	189530	0	189530
	सहारनपुर मण्डल	30	568590	0	568590
	योग	647	12262591	0	12262591

(रू0 एक करोड बाइस लाख् बासठ हजार पॉच सौ इक्यान्बे मात्र)

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव

http:// shasnadesh up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।